342

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर

(E mail: DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN 2227725)

क्रमांकः– एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019 / 1805 दिनांक 27-11.2020

(आदेश 10/2020)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 में संशोधन

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या–1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या–1.4 की पालना में सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः एफ 61 (21) SSAAT /नियमावली/2019/7497–7514 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा जारी किये गये है।

वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के प्रकाश में सोसायटी की कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 29.07.2020 में इन नियमों के प्रावधानों पर पुनः विचार विमर्श किया गया और निर्णय संख्या 2.8 के द्वारा इन नियमों में उपयुक्त संशोधन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में पूर्व में जारी किये गये संर्भित आदेश क्रमांकः एफ 61(21) SSAAT/नियमावली/2019/7497–7514 दिनांक 12.03.2020 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:–

1. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम,2020 में नियम-5(iv)–लिखित परीक्षा आयोजन तथा नियम 5(V) शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता परीक्षाओं में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत के आधार पर चयन संबंधी प्रावधानों में निम्न संशोधन किया जाता है :–

   "सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए इन नियमों में लिखित परीक्षा आयोजन किये जाने के प्रावधान को कोविड–19 की परिस्थितियों को मध्यनजर हटाया जाता है। अब चयन हेतु लिखित परीक्षा के स्थान पर इन नियमों में प्रावधित केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification) में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर ही (प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों को शामिल किये बिना) वरीयता सूची बनाकर चयन प्रक्रिया संपादित की जावेगी।"

2. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों BRPs की प्रशैक्षणिक योग्यता के बाबत् उपरोक्त नियमों के प्रावधानों में नियम 4 (द) (ii)–"प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता–सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है" में निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:–
   "Rajasthan Knowledge Corporastion Ltd.(RKCL) द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (RSCIT) या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा"।

3. सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु नियमानुसार (RTPP Act,2012 & RTPP Rules,2013 के प्रावधानानुसार) चयनित संस्था/संवेदक के माध्यम से केवल ऑनलाईन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ आवेदन–पत्र लिए जावेंगे। अनुमोदित संस्था/संवेदक द्वारा आवेदकों की पात्रता संबंधी सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की जाकर पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक सभी आवेदकों की सामान्य वरीयता सूची और आरक्षण हेतु अपेक्षित वर्गवार वरीयता

सूचियां आवश्यकतानुसार पूर्ण वस्तुनिष्ठता से (Objectively) तैयार की जाकर सोसायटी को उपलब्ध करायी जावेगी।

343

उपरोक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

उपरोक्त सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 में संशोधन श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, शासी निकाय (SSAAT) की आई.डी.संख्या 3439/सीएस/2020 दिनांक 26.8.2020 द्वारा अनुमोदित है।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)

क्रमांक – एफ 6(21))SSAAT/नियमावली/2019/ 1806-22 दिनांक 27-11-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

प्रमुख सचिव, मा.मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महो. शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव एवं सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ग्रा.वि. मंत्रालय, भारत–सरकार, नई दिल्ली।
प्रधान महालेखाकार, राजस्थान।
शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग।
शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा।
वरिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग
वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग।
निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT)।
प्रभारी अधिकारी वेबसाईट ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/महात्मा गाँधी नरेगा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग की वेबसाईट पर इन संशोधित विनियमों को स्थायी रूप से प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
कार्यालयाध्यक्ष/सहायक लेखाधिकारी–I /II/प्रोग्रामर
रक्षित पत्रावली।

27/11/2020

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/7497 दिनांक 12/3/2020

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.4 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण कार्य को विधिवत रूप से कियान्वित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 निम्नानुसार होंगे :–

1. ये विनियम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी चयन संबंधी विनियम, 2020 कहलायेंगे।
2. ये विनियम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में संविदा के आधार पर लिये जाने वाले सामाजिक विकास विशेषज्ञ तथा राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु लागू होंगें।
3. इस प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधीकारी अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग होंगे।
4. सोसायटी में उपरोक्त वर्णित मानव संसाधन के चयन एवं अनुबंध प्रकिया सम्बन्धी विनियम निम्नानुसार रहेंगे :–

अ – सामाजिक विकास विशेषज्ञ –

सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए निम्नलिखित अहर्ताए (Qualifications) होनी आवश्यक है :–

i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
vi) आवेदक सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि हो, जिसे कम से कम 5 वर्ष का सामाजिक अंकक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है ।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या अ–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
(ख) बिन्दु संख्या अ–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
(ग) बिन्दु संख्या अ–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
(घ) बिन्दु संख्या अ–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।

आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

(iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

(v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

द – राज्य संसाधन व्यक्ति –

राज्य संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

(i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातकोत्तर/MSW (Master in Social Work) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक

(ii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।

(iii) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।

(iv) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य

(v) आवेदक सिविल सोसायटी/स्वयं सेवी संगठन से होना चाहिये, जिसे कम से कम 5 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिये। सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है ।

चयन प्रक्रिया –

(i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या ब–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

(ख) बिन्दु संख्या ब–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

(ग) बिन्दु संख्या ब–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(घ) बिन्दु संख्या ब–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य मे लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

(ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।

(iii) आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

(iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

(v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

स – जिला संसाधन व्यक्ति :–

जिला ससाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

(i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्यूटर मे डिप्लोमा / ...
प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्यूटर में ... नहीं होना चाहिये ।
आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।
आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
आवेदक सिविल सोसायटी / संगठन से होना चाहिये, जिसे कम से कम 5 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिये। सामाजिक अंकेक्षण / जवाबदेही से सम्बन्धित कार्य (Social Audit Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।

चयन प्रक्रिया –

उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे – सम्बन्धित शिक्षण संस्था के

(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या स–(i)(ii) एवं (v) के लिए शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

(ख) बिन्दु संख्या स–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

(ग) बिन्दु संख्या स–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(घ) बिन्दु संख्या स–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं / सिविल सोसायटी संगठनों / इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमे आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।

iii) आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों / आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

vi) आवेदनकर्ता को उसके गृह जिले (मूल निवास जिले) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र आधार माना जावेगा ।

द – ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :–

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक है :–

i) शैक्षणिक योग्यता – पुरूष वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

ii) प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्युटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है।

iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिये, परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी संसाधन व्यक्ति हो सकेंगे।

iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।

v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । संसाधन व्यक्ति राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी ।

vi) आवेदक सिविल सोसायटी / संगठन से होना चाहिये।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

(क)उपरोक्त बिन्दु संख्या द–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

(ख) बिन्दु संख्या द–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

(ग) बिन्दु संख्या द–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(घ) बिन्दु संख्या द–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं / सिविल सोसायटी समठनों / इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पते आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।

iii) आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों / आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण–पत्र आधार मान जावेगा ।

vi) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

vii) ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्र की जायेगी।

य – ग्राम संसाधन व्यक्ति :–

ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थियों को पात्र माना जावेगा।

ii) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । संसाधन व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सा अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी ।

iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिये, परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचा होगें।

iv) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

v) यदि उक्त बिन्दु सं0 (ii) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो दसवीं पास कोई व्यक्ति चयन हेतु पात्र माना जायेगा।

vi) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थी नहीं मिले तो इस शर्त में जिला चयन समिति / सामाजिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी उपयुक्त शिथिलता देने हेतु सक्षम होगी।

vii) सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्युटर में दक्षता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। न के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त टेस्ट लिया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया –

उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंग –

(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या य–(i) एवं (ii) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

बिन्दु संख्या य-(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर उच्चतर शैक्षिक योग्यताधारी आवेदकों को प्राथमिकता से चयन किया जावेगा अन्यथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी मापदण्डों (कक्षा 10 के प्राप्तांकों) के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा।

5. **चयन प्रक्रिया के अन्य सामान्य बिन्दु :-**

i) सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा इन विनियमों के अनुसार सम्पादित की/करायी जावेगी, परन्तु वास्तविक कार्य सम्पादन में यदि कोई कठिनाइयाँ पेश आवें तो सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों में युक्तियुक्त शिथिलता देने हेतु सक्षम होंगे।

ii) चयन प्रकिया में सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क की राशि रूपये 100/- अथवा आकलन कर ऐसी उचित राशि रखी जावेगी, जो उक्त कार्य के व्यय की प्रति पूर्ति हेतु पर्याप्त हो, इसे लाभार्जन का जरिया नहीं बनाया जावेगा।

iii) संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा स्वयं अथवा किसी उपयुक्त एजेन्सी के माध्यम से सम्पन्न करवाई जा सकती है।

कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में उपयुक्त संसाधनों/सक्षमता के अभाव में निर्णय किया गया कि चयन प्रकिया हेतु किसी राजकीय संस्था यथा अरावली, राईसम (जो नियुक्ति प्रकिया सम्पादन हेतु अधिकृत हो) अथवा अन्य कोई योग्य संस्था की सेवायें ली जावें, जिससे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत सीधे ही (बिना निविदा के) अथवा खुली निविदा प्रकिया अपनाकर चयन संबंधी कार्य सम्पादन कराया जा सके।

iv) संबंधित पदों हेतु आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या कम (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) होने पर उनकी योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा पात्र आवेदकों की वरियता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।

v) लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरियता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।

vi) सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं सभी संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन हेतु अखबार एवं वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

vii) संविदा कार्मिकों के चयन में राजस्थान सरकार में प्रचलित आरक्षण/रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना नियमानुसार की जावेगी।

viii) चयनित व्यक्तियों में से केवल एक वर्ष के लिए ही अनुबंध किया जावेगा एवं अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं योग्यताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छटनी की जाकर आगामी एक वर्ष के लि

नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। इस प्रकार पूर्व में कार्यरत नवीन अनुबंध हेतु उपलब्ध संसाधन
व्यक्तियों से अधिक कार्मिकों की आवश्यकता होने की स्थिति में केवल अतिरिक्त संविदा कर्मियों हेतु
उपयुक्त चयन प्रक्रिया अपनाई जावेगी।
सभी पात्र आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित कार्यालय में अथवा ऑनलाईन निर्धारित ई–मेल/वेब
पोर्टल पर ही प्रस्तुत करेंगे।
भारत सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना के Annunal Master Circular 2019-20 के बिन्दु संख्या 10.1.4.2
के अनुसार सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य/जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार
चयन समिति होगी :–

क– मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि
ख– अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. वि.
ग– निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (Member Convenor)
घ– राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एव पंचायतीराज संस्थान के सामाजिक अंकेक्षण केन्द (Center for Social
Audit)/सिविल सोसायटी संगठनों के राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि या सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग/महिला बाल विकास विभाग/विधि विभाग के प्रतिनिधि

(ii) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगी।–
क– जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से न्यून पद धारी
न हो।)
ख– अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
ग– कोषाधिकारी
घ– सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि

(iii) संबंधित ब्लॉक में ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगी।–
क– उपखण्ड अधिकारी
ख– विकास अधिकारी, पंचायत समिति
ग– उप कोषाधिकारी
घ– सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि

(viii) सभी पदो के लिए चयन हेतु आवेदन पत्रों की जांच, परीक्षा आयोजन किया जाना आदि समस्त
कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एव पारदर्शिता सोसायटी के निर्णय के अनुसार की
जावेगी तथा विधिवत वरीयता सूची (Merit List) बनाकर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।

(ix) नियुक्ति प्रक्रिया एव परिणाम आदि का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ
किया जावेगा।

5. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरान्त अनुबन्ध किये जाने की प्रक्रिया :–

(i) सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्ति/ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों
के चयन उपरान्त भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रमीण विकास एव पचायती राज संस्थान
(NIRD), हैदराबाद के मार्गदर्शन में 30 दिवसीय सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त एक वर्ष के
लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा।

(ii) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण का अनुभव होना आवश्यक है ब्लॉक
संसाधन व्यक्तियों को तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण के अनुभव की पूर्ति हेतु पूर्व वर्षो मे सामाजिक
अंकेक्षण कार्य हेतु किये गये भुगतान बाबत प्रमाण पत्र संबंधित विकास अधिकारी की ओर से प्राप्त कर
अनुबन्ध को प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में तीन सामाजिक अंकेक्षण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति मे
आवेदक यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह चयन उपरान्त तीन माह की अवधि में तीन सफल
सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित कर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने उपरान्त
ही अनुबन्ध से विधिवत् एक वर्ष के लिए संविदा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करवाई जा सकेगी।

iii) ग्राम ससाधन व्यक्तियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण होगा । प्रशिक्षण उपरान्त ही एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा ।

iv) सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्तियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार नियत मासिक संविदा राशि देय होगी।

v) ब्लॉक/ग्राम ससाधन व्यक्तियों को भारत /राजस्थान सरकार/सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्णयानुसार अनुमोदित दरों पर, दैनिक आधार पर मानदेय राशि का भुगतान किया जावेगा।

vi) ब्लाक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति चयन के उपरांत पात्रता सूचि में से सूचीबद्ध (List of Empanelled Resource Persons) रखे जावेंगे, जिनकी आवश्यकतानुसार दैनिक मानदेय भुगतान के आधार पर इच्छुक लोगों को सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

vii) किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा ।

उक्त विनियम श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की आई.डी. संख्या 1572/सी.एस./2020 दिनांक 11.03.2020 द्वारा अनुमोदित है ।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष,
कार्यकारी समिति (SSAAT)

दिनांक

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
3. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष शासी निकाय SSAAT
4. निजी सचिव, श्रीमान अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT
5. संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रा.वि.मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. निजी सचिव, श्रीमान प्रधान महालेखाकार, राजस्थान
7. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग,
8. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग,
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग,
10. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा,
11. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा. वि. विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT
12. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर को उन्हें प्रस्तुत सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं ससाधन व्यक्तियों की पत्रावली पर भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित है।
14. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग
15. निदेशक, SSAAT सह सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति SSAAT
16. प्रभारी अधिकारी वेब साईट, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/महात्मा गांधी नरेगा, राज जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग की वेबसाईट पर इन विनियमों को स्थायी रूप से प्रकाशित कराने का श्रम करें।
17. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक एवं सदस्य
कार्यकारी समिति, SS